न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—117/18 (2018/00187) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—प्यारीदेवी पुत्री नन्दराम महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रूपीबाई पुत्री नन्दराम महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—रकुबाई पुत्री नन्दराम महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—पिस्तादेवी पुत्री नन्दराम महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सीतादेवी पुत्री नन्दराम महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मंजुदेवी पुत्री नन्दराम महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—प्रकाशचन्द्र आत्मज नन्दराम महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पारसमल आत्मज नन्दराम महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता विपक्षी
3. महेन्द्र सिंह — अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांकः—22.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है और वे हिन्दु विधि से शरशित होते है। इस संयुक्त हिन्दु परिवार के मूल पुरूष नन्दराम आत्मज जालमचन्दजी महाजन जिनके 6 पुत्रीया प्रार्थीगण प्यारीदेवी, रूपीबाई, पिस्तादेवी, सीतादेवी, मुजुदेवी तथा 2 पुत्र प्रकाशचन्द्र, पारसमल हुए तथा पत्नि सुन्दरबाई थी जिसका स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण मृतक खातेदार नन्दराम की जायन्दा पुत्रीया होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस है। ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में नन्दराम आत्मज जालमचन्द के खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी संख्या 44/2 रकबा 12 बिस्वा, 45/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 51 रकबा 2 बिघा 18 बिस्वा, 52 रकबा 13 बिस्वा, 53 रकबा 16 बिस्वा, 54 रकबा 3 बिस्वा, 55/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 55/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 56 रकबा 16 बिस्वा, 57/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 57/2 रकबा 8 बिस्वा, 58 रकबा 16 बिस्वा, 59 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 60/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 60/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 60 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 61 रकबा 17 बिस्वा, 62 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 63 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 64 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, 65 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 66 रकबा 6 बिस्वा, 67 रकबा 3 बिस्वा, 68 रकबा 6 बिस्वा, 70 रकबा 6 बिस्वा, 71 रकबा 5 बिस्वा, 76 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 406/[illegible] 11 बिस्वा, 406/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 14:00:49 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 13 बिस्वा, 883 रकबा 3 बिस्वा, कुल किता 30 कुल रकबा 46 बीघा 2 बिस्वा भूमि साबिक खाता संख्या 89 पर स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। खातेदार नन्दराम पिता जालमचन्द का स्वर्गवास होने पर पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 451 दिनांक 05.06.1993 प्रतिवादीगण ने अपने नाम फैसल करवा लिया जबकि प्रार्थीगण मृतक की जायन्दा पुत्रीया होकर प्रथम श्रेणी की वारीस है। ऐसा नामान्तरणकरण जो शुरू से ही शुन्य है। उक्त वर्णित भूमिया भूमिया पुश्तैनी व पैतृक भूमिया है जिसमें प्रत्येक प्रार्थी का 1/8—1/8 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है। नवीन भूप्रबन्ध होने से नवीन आराजी संख्या 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1461 कुल किता 22 कुल रकबा 7.27 है भूमि खाता संख्या 86 पर कायम किये गये। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मुलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के नवीन राजस्व खाता संख्या 86 में अकिंत आराजियात किता 22 कुल रकबा 7.27 है0 भूमि को विपक्षीगण किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीश या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा प्रार्थीगण को बेदखल नही करे तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अपने जवाब के अंकन किया कि प्रार्थी व विपक्षीगण संयुक्त परिवार के सउस्य नही है मृतक खातेदार नन्दराम जी की विरासत का जो नामान्तरणकरण खोला गया जो सही जांच कर खोला गया है उस दौरान प्रार्थीगण उनके ससुराल में निवास कर रही थी संवत 2005 से पूर्व पुत्रो का ही हक अधिकार है इसीलिए विपक्षीगण के नाम नामान्तरण खुला प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है भूमियां विक्रय हो चुकी है। मुझ विपक्षी संख्या 1 की और की और से मेरा 1/2 हिस्सा कालुरामजी को दिनांक 22.10.2018 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया प्रार्थीगण ने कालुराम को पक्षकार नही बनाया प्रार्थीगण विपक्षी को नाजायज रूप से जलील व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया जो सव्वय खारीज फरमाया जावे। विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना कोई जवाब प्रस्तुत नही करने से एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवदेन किया कि अपने जवाब को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारीज फरमाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 14:00:49 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः–117/18 (2018/00187) प्रार्थना पत्र

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजियात प्रार्थीगण व विपक्षीगण की के मूल पुरूष नन्दराम पिता जालमचन्द महाजन की खातेदार भूमि है प्रार्थीगण व विपक्षीगण मृतक खातेदार के विधिक वारीस है और भूमि पैतृक है जिसमें प्रत्येक विधिक वारीस का हक व हिस्सा निहित होता है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा विक्रय कर दिया गया है जबकि कानुनन उसके अधिकार नही था। प्राथीगण द्वारा क्रेता को भी पक्षकार संयोजित नही किया गया है। राजस्व रेकार्ड में भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2018 को एकपक्षीय आदेश जारी कर अन्तरिम आदेश जारी किया गया है जिससे में सहमत हुँ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का सरेवड़ी के बैरून हल्के आबादी में आराजी संख्या 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1461 कुल किता 22 कुल रकबा 7.27 है भूमि के रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-09-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 14:00:49 IST
Reason: SelfAttested